




मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 01/10/2024

क्रमांक 3894/21-ब(एक)/2024 विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्याक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा, न्यायाधीश, म.प्र. उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है।

No. 3894/21-B(I),/2024 In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh in consultation with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri Sanjeev Sachdeva, Judge, Madhya Pradesh High Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority with immediate effect.

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 01/10/2024

पृ0क0 3894/21-ब(एक),
प्रतिलिपि:-

- माननीय न्यायमूर्ति, श्री संजीव सचदेवा, न्यायाधीश, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर,
 - रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर आपके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 319 दिनांक 26/09/2024 के संदर्भ में,
 - रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर/इंदौर म.प्र.,
 - विधि परामर्शी, म0प्र0 शासन भोपाल,
 - सदस्य सचिव, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सी-2, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर,
 - अपर सचिव, म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, बजट शाखा,
 - उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर भेजकर म0प्र0 राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर अनिवार्य रूप से राजपत्र की 50 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें,
 - आई.टी. प्रकोष्ठ शाखा, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(ओ.पी. रघुवंशी)

सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

